

कार्यालय प्रधानाचार्य:: जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या- 260/ई०सी०-1/एन०डी०/2025

दिनांक-09/09/2025

-: सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से चयन के मामलों में नियुक्ति/रीनाती य अर्थात् कार्यार प्रहण कराये जाने हेतु सेवयोजन विज्ञप्ति संख्या-180/एन०डी०/2025 दिनांक 25-08-2025 के संदर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/ट्रामा सेक्टर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवयोजन हेतु विज्ञप्ति की गयी है, जिसके आधार पर रोगी के उपचार/एन०एम०सी० (एम्बुसी०आई०) मामलों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०एस०आई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अर्थात् से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सहायक हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात माह के प्रत्येक शुक्रवार दिनांक 12-09-2025 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अर्थात् से को यह भी सूचित किया जाता है कि वह सहायक के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजिडेन्सी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०ई०टी०/बी०सी०बी०आर० प्रमाण पत्र की (सच प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.gsvmmmedical.college.com पर उपलब्ध हैं। पदों की सख्या घट बढ सकती है।

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की सख्या								
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	सेक्टर कमाक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	सेक्टर कमाक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	सेक्टर कमाक
1	आर्थोपेडिक्स	1 ट्रामा	अनारक्षित	(4)	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित	(57) (58)	1 1 1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी० एस०सी०	(3) (9) (83)
2	आप्युलमोलॉजी	0	0	0	1	एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस०	(59) (60)	1	अनारक्षित	(104)
3	आल्बर्टेक्स एण्ड गायनेकोलाजी	0	0	0	1	अनारक्षित	(65)	0	0	0
4	इन्फ्यूजो डिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित ओ०बी०सी०	(66) (67)	1 1 1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० अनारक्षित	(110) (111) (112)
6	एन्डोक्रायनोलॉजी (पी०एम०एस०आई०)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(97)	1	एस०सी०	(59)
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1 1 1 1 1 1 1	ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी०	(39) (40) (51) (78) (86) (87)
8	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित	(6) (9) (66) (69) (70) (71) (72)	1 1 1 1 1 1 1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० ओ०बी०सी० ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी०	(9) (13) (14) (15) (80) (113) (114) (115) (116) (119)
9	एनेस्थीसियोलॉजी (पी०एम०एस०आई०)	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	ओ०बी०सी०	(61)
10	ओटो लैरिंगोलॉजी(ई०एन०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(120)
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1 1 1 1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी० एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस०	(19) (81) (121) (160)
12	क्रिटिकल केयर (पी०एम०एस०आई०)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	0	0	0	1	अनारक्षित	(82)
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० एस०सी० 1 गैस्ट्रोलाजी एस०सी०	(76) (77) (78) (80) (81) (104) (105) (31)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० एस०टी० अनारक्षित एस०सी० अनारक्षित एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी०	(20) (41) (47) (52) (53) (54) (63) (64) (123) (124) (125) (126) (127)
14	जनरल सर्जरी	0	0	0	1	अनारक्षित ओ०बी०सी० ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी०	(84) (85) (87) (88) (89)	1 1 1 1 1	1(ट्रामा) अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी० एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी० एस०सी०	(22) (24) (42) (44) (65) (99) (100) (129) (130) (131) (185) (186) (187) (189)
15	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित ई०डब्ल्यू०एस० अनारक्षित	(54) (90) (106)	1 1 1	अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित	(88) (133) (134)
16	डरमिटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(65)	0	0	0	1	एस०सी०	(135)
17	डन्टल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	न्यूरोलॉजी	0	0	0	1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी०	(17) (108)	1	ओ०बी०सी०	(27)
19	न्यूरोसर्जरी	1	एस०सी०	(25)	1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी०	(110) (111)	0	0	0
20	न्यूरो रेडियोलॉजी (पी०एम०एस०आई०)	0	0	0	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0

21	नेफोलोजी, (मेडिसिन) नेफोलॉजी(पीएमएसएसवाई)	1	ओपीसी	(27)	0	0	0	0	0	0	0
22	पीडियाट्रिक्स	1	अनारक्षित	(66)	1	अनारक्षित एससी अनारक्षित ओपीसी	(92) (93) (94) (95)	1 1 1 1	ओपीसी ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस ओपीसी	(139) (140) (170) (171)	0
23	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एससी	(45)	1	एससी	(47)	1	ओपीसी	(71)	0
24	पैथालॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	फार्माकोलाजी	1	एससी	(49)	1	एससी	(25)	1	एससी एससी	(93) (173)	0
26	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0	0
27	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	ओपीसी अनारक्षित एससी	(46) (94) (145)	0
28	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	अनारक्षित अनारक्षित	(96) (146)	0
29	बायोकेमिस्ट्री	0	0	0	1	अनारक्षित	(96)	1	अनारक्षित	(148)	0
30	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	यूरालॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	रेडियोलॉजी	1	ओपीसी	(37)	1	ईडब्ल्यूएस अनारक्षित एससी ईडब्ल्यूएस एससी अनारक्षित	(30) (98) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1	ओपीसी अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित एससी अनारक्षित ओपीसी अनारक्षित ओपीसी	(37) (38) (56) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (161)	0
33	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	ओपीसी	(103)	0	1 फिजिसिस्ट	0	0
		13			53			87			

- उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं-
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹-2,20,000/- सह आचार्यों का नियत वेतन ₹-1,60,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पद हेतु ₹-75,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
 - शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
 - शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
 - चयन से सम्बंधित कालेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती अभ्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
 - चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव 30 प्रो राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
 - ओपीसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
 - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
 - कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
 - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
 - उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के दैतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
 - ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के परचात लोक सेवा से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि यह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बंधित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
 - चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
 - संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन मुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के अन्त पर अपने विनियमतीकरण अथवा रचावकीरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
 - अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जायेंगी।
 - उपरोक्त शासन, कार्मिक अनुभव-2, उ0प्र0 लखनऊ के कार्गलम डाप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टीसी-ii दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल धार्मिक आय ₹ 6.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिभारिता का प्रथम पत्र सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नोट पर देखा जा सकता है।
 - सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एम0एम0सी0 गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
 - सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
 - जो अभ्यर्थी एम0डी0/एम0एस0 के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

सं- 260 / तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
- नोडल अधिकारी बेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर